कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल
दूरभाष- 2550488,2550446,2551282 फैक्स-0755-2555162
E-Mail: chiefelectoralofficermp@gmail.com,website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र.10–क / चार / निरर्हित / 2019 / 2834 भोपाल, दिनांक 25/02/19

प्रति,

श्री अनुज जयपुरियार,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली

विषयः–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10–क के तहत निर्हित व्यक्तियों के संबंध में।

संदर्भः– भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रं 76/MP-LA(Bye)/2014 दिनांक 07.02.2019

कृपया विषयान्तर्गत आयोग के आदेश संदर्भित के पालन में आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10–क के तहत 61–चित्रकूट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन 2017 में निर्वाचन लडने वाली अभ्यर्थी प्रभात कुमारी सिंह एवं राधा को अपने निर्वाचन का निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने असफल होने के कारण उक्त आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित किया था, आयोग के उक्त आदेश को राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 20 फरवरी 2019 को किया गया है।

उक्त राजपत्र की 3 प्रति आपकी ओर सादर संलग्न प्रस्तु त है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(राजेश कुमार कौल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.10–क / चार / निरर्हित / 2019 / 2835 भोपाल दिनांक 25/02/19

प्रतिलिपि

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. रिटर्निंग ऑफिसर, समस्त, विधानसभा / लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राजेश कुमार कौल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी 2019—फाल्गुन 1, शक 1940

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2019

फा. क्र. 10-क-चार-निरर्हित-2019-46.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्र. 76-MP-LA (Bye) 2014, दिनांक 7 फरवरी 2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाना है.

राजेश कुमार कौल, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

सं. 76--म.प्र.-वि.स.उप-निर्वाचन-2014 नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी, 2019—18 माघ , 1940 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विर्निदिष्ट मध्य प्रदेश राज्य से विधानसभा के उप–निर्वाचन में, स्तम्भ 3 में विर्निदिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और उसके सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ठ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में/निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10–क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विर्निदिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:–

सारणी

क्र0 सं0	निर्वाचन का विवरण	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप–निर्वाचन, 2017	61 – चित्रकूट	प्रभात कुमारी सिंह, ग्राम बिछियन पोस्ट चितहरा तहसील मझगवां जिला सतना मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं ।
2	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप–निर्वाचन, 2017	61 – चित्रकूट	राधा, 140 रैगांव रघुराजनगर जिला सतना मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं ।

आदेश से,
हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

No. 76-MP-LA (Bye) 2014/ New Delhi, Dated 7th February, 2019—18 Magha, 1940 (Saka)

ORDER

Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the Bye Election to the Legislative Assembly in the Madhya Pradesh State specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name have failed to lodge the account of his/her election expenses/failed to lodge the account of his/her election expenses in the manner required by law as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by him/her, if any, the Election Commission of India is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

Sl No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1	Bye Election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2017	61-Chitrakoot	Prabhat Kumari Singh, Village Bichiyan Post Chitahara Tahseel Majhgawan Distt. Satna Madhya Pradesh	Failed to lodge any account of her election expenses.
2	Bye Election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2017	61-Chitrakoot	Radha, 140 Raigaon Tahseel Raghurajnagar Distt. Satna Madhya Pradesh	Failed to lodge any account of her election expenses.

By order,

Sd./-
(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.